

पाकस्तान ने नहीं दिया है भारत को एमएफएन का दर्ज़ा

चर्चा में क्यों

वदिति हो कि पाकस्तान ने अभी तक भारत को एमएफएन (most favoured nation) का दर्ज़ा नहीं दिया है और उसने 1209 वस्तुओं की एक सूची बना रखी है, जनिहें भारत से आयात करने की अनुमति नहीं है। हाल ही में सरकार ने कहा है कि पाकस्तान को दिये गए एमएफएन के दर्जे को वापस लेने के संबंध में अब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है।

क्या है एमएफएन का दर्ज़ा ?

- वदिति हो कि विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के आधार पर व्यापार में सर्वाधिक तरजीह वाला देश (एमएफएन) का दर्ज़ा दिया जाता है।
- एमएफएन का दर्ज़ा दिये जाने पर देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि उन्हें व्यापार में नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। भारत ने पाकस्तान को 1996 में एमएफएन का दर्ज़ा दिया था।
- पाकस्तान को जब यह दर्ज़ा मिला तो इसके साथ ही पाकस्तान को अधिक आयात कोटा देने के साथ और उत्पादों को कम ट्रेड टैरिफि पर बेचे जाने की छूट मिलती है।
- उल्लेखनीय है कि भारत की ओर से पाक को दिया गया यह दर्ज़ा एकतरफा है। पाकस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्ज़ा नहीं दिया है।
- पाकस्तान ने वर्ष 2012 में भारत को एमएफएन यानी विशेष तरजीह देश का दर्ज़ा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो वादा नहीं नभिया है।

नषिकरष

- दरअसल, एमएफएन का मतलब यह नहीं होता कि किसी देश को विशेष सुविधाएँ और छूट दी जा रही हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि दर्ज़ा प्राप्त देश एक-दूसरे के लिये किसी भी प्रकार की व्यापारिक बाधाएँ उत्पन्न नहीं करेंगे।
- एमएफएन अनविर्य रूप से दो देशों के बीच सबसे अनुकूल व्यापार स्थितियों की गारंटी देता है। इसमें न्यूनतम संभव व्यापार शुल्क, कम से कम व्यापार अवरोध और बेहतर आर्थिक संबंध शामिल हैं।